

राजनीति में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता

कुंवर प्रताप सिंह¹ एवं डॉ. संध्या शुक्ला²

शोधार्थी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)¹

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)²

सारांश: “मध्य भारत में” अनुसूचित जनजातियों आदिवासी प्रश्न पारंपरिक रूप शिक्षा और नीति समझौते द्वारा दो तरह से प्रस्तुत किया गया हैं और एक ओर कामकाज और (जातियों) अनुसूचित जनजातियों के बीच अंतर करने का प्रश्न और दूसरी ओर किसानों के बीच अंतर करने का प्रश्न और यह सवाल कि कैसे सबसे अच्छा सुधार किया जाता है इसे सार्वभौमिक रूप से अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के बीच गरीबी से पीड़ित स्थिति के रूप में देखा जाता है। स्वायत्तता राज्य का स्तर और महत्वाकांक्षा के लिए संघर्षों ने पहचान के सवालों को केंद्र में रखा है। सरकार के लिए मुख्य कानून और व्यवस्था और समाधान आमतौर पर सैन्य पैक्स पर माना जाता है। समकालीन जनजातियों की राजनीति को समझने के लिये अच्छी पहचान उनको जानना होगा पूर्व औपनिवेशिक काल में जबकि पहाड़ी और मैदानी लोगों ने विभिन्न पारिस्थितिक सामाजिक और अक्सर राजनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया था अक्सर दोनों के बीच काफी व्यापार और यहाँ तक कि अंतर्विवाह भी होते थे मध्य और उत्तर पूर्वी भारत दोनों में सामाजशास्त्रीय और ज्ञान मीमांसीय समावेशन तथा भारत में आदिवासियों का चरित्र चित्रण अफ्रीका के समान था नस्ल और मानवमिति के आधार विकास वादी वर्गीकरण पर धुंधला किसी भी स्वदेशी राजशाही हो या राजनीति को एक उदासीन रिश्ते बद्ध सामाज और तौर तरीकों की कथित प्रायिकता उत्पाद “आदिवासी” “आदिम” “जंगली” “अनुसूचित जनजाति” “जंगली निर्देशांक” की भी उन लोगों को मार्क करने लिए परस्पर उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति सामाज आर्थिक राजनीतिक में सहभागिता दे रहे है। पहले के विचारों से अब विचार धाराओं में थोड़ा बदलाव हुआ है। कि किन्तु फिर भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या पिछड़ी हुई है उन्हें भी राजनीतिक में भाग लेना चाहिए ताकि उनका विकास मनोबल उच्चतम हो सकें और वे अपने विचारों को रख सके अपने मूल्यों को पहचान सके।

मुख्य शब्द: राजनीति में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सहभागिता के लिये जागरूकता स्वसन देने की आवश्यकता है। ऐसी विकास नीति हो प्रभावी होगी जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज का प्रत्येक घटक समाज के व जनजातियों अधिकार

प्रदान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के सामान्य लक्ष्य के लिये कार्य करे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए दान। /आर्थिक सहायताके मौजूदा बल की बजाय उनमें सृजनात्मकता योग्यता क्षमता तथा विश्वास उत्पन्न करने के लिये उनका समस्याओं का अन्वेषण करता है। विकास में भागीदारी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं उनकी पहुँच तथा रोजगार के अवसर मुहैया तथा उनके संवैधानिक सुरक्षाओं के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के पर ध्यान केन्द्रित करेगा राजनीतिक में भाग लेने से उनमें जागरूकता बढ़ेगा और उनके समस्याओं नियम होगा शिक्षा और विकास एक अच्छे सम्पन्न अनुसूचित जनजातियों का वर्ग दिखेगा ऐसे में पीछे से आगे की और उनकी क्षमताएँ बढ़ेगी एक जागरूक बने जायेगे और ग्राम से नगर नगर से राज्य से पूरे भारत में न्यूनतम दर ही बचेगें क्योंकि आज भी अनुसूचित जनजाति पिछड़ा हुआ है आदिवासी लोग या अदिवासी वे पश्चिमी भारत के भी क्षेत्रों से मध्य के गोड़ नेटवर्क के माध्यम से झारखड़ और बंगाल तक है। जहाँ मुण्डा उरांव और संथाल प्रमुख है।

दक्षिण में चेंचस टोडा और कुरुम्बा जैसे जनजातीय समुदाय भी है और अंडमान में जखा आंगो और सेंटिनीली जैसे बहुत छोटे लुप्तप्राय समुदाय है भूतिया भारत में जनसंख्या का एक और बड़ा हिस्सा शामिल है जिसमें विभिन्न गाटों मिजोस कुकिस बोडो और अन्य शामिल है। इन सभी समुदायों के साथ एक आदिवासी के तहत बौद्धिक राजनीतिक और न्यायिक तर्क इन सभी समुदायों के लिए एक सामान्य विशेषता चाहे वे मध्य या भूतिया भारत में हो। हालांकि मोड़ और सभी समुदायों में प्रत्येक 1991 की जनगणना में लगभग 7.3 मिलियन लोग है उनमें से किसी एक को भी लोगों के रूप में मान्यता नहीं गई है न ही उन्हें अन्य भाषाई समुदायों के राज्यों का स्तर दिया गया है। भले ही झारखण्ड एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति हो लेकिन बहुजातीय राज्यों के लिए कई अन्य राज्यों के लिए संघर्ष पहले हुआ है।

अनुसूचित जनजातियों की जनजातीय समुदायों को आधिकारिक तौर पर देश में सबसे कमजोर आबादी के रूप में चित्रित किया जाता है जिन्हें विशेष कानूनों की आवश्यकता होती हैं इसके अलावा हालांकि निरीक्षणवाद के लिए जनजातिय प्रतिरोध ने यह सुनिश्चित किया है विशिष्ट नौकरी पेशा व्यवस्थाओं के तहत मुक्त हैं

वैश्वीकरण वर्तमान आधुनिक समय की पहचान है जिसके कारण सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड एक वैश्विक गांव बन गया है वैश्वीकरण एक बहुलवादी सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रभाव सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

ऐसा जनजातिय समाज में भी देखा जाता है क्योंकि प्रत्येक जनजाति अपनी एक अलग संस्कृति एवं कला होती है जिसके कारण उन अनुसूचित जनजातियों की पहचाना जाता है।

शोध का उद्देश्य:

- 1 अनुसूचित जनजातियों का सक्रिय सहभागिता को जानना।
- 2 अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी एकत्र करना।

- 3 अनुसूचित जनजातियों के प्रति व्यवहार एवं मनोवृत्तियों को जानना ।
- 4 अनुसूचित जनजातियों के सामान्य कारणों का पता लगाना ।
- 5 अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक सहभागिता के प्रति जागृत करना ।
- 6 अनुसूचित जनजातियों के सक्रिय राजनीति में स्थिति के बारे में जानना ।

जनजातीय सामाज से अभिप्राय सामाज के उस समुदाय से हैं जिसे आदिवासी के नाम भी जाना जाता है इस समाज की एक स्पष्ट भाषायी सीमा भी होती है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनजाति एक परम्परागत पोशाक, गहने, चिन्न, प्रतीक, है भारतीय जनजातियाँ अनेक विविधतायुक्त विशेषताएँ एवं सांस्कृतिक पहचान रखती है ।

प्राचीन काल से ही भारत की अपनी एक अलग ही पहचान रही है । इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ प्रचलित विभिन्न प्रकार के धर्म मत सम्प्रदाय संस्कृति जातियाँ है परन्तु इन सभी समुदायों में एक समुदाय ऐसा भी है जो यहाँ का मूल निवासी भी है । यद्यपि वह रहन सहन खान पान जीवन शैली विशिष्ट विचारधारा अकेलेपन व गरीबी से त्रस्त है इसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति या आदिवासी के नाम से जाना जाता है ।

पूर्व साहित्य की समीक्षा

डॉ. प्रहादेव शर्मा ने 1994 में अपनी पुस्तक आदिवासी विकास एक सैद्धान्तिक विवेचन किया है कि आदिवासी सामाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को मानव इतिहास के अनवरत परिवर्तन और हमारी वर्तमान राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में गतिशील संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में ही सही अर्थ में समझा जा सकता है । उस स्थल पर अब यह विचारणीय है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रशासन के लिये निर्धारित भूमिका एक विस्तृत आयाग में होती है और उसका स्वरूप एवं गहराई बहुत भिन्न हो सकते है । एक अहस्तक्षेपवादी राज्य में प्रशासन से एक तटस्थ चौखटे के रूप में भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है । जिससे सभी आर्थिक बलों को स्वतंत्रापूर्वक प्रचालन के लिये अवसर मिल सकें

यह स्थिति आदिवासी अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों को ठीक प्रकार न समझने का ही सीधा परिणाम हैं बहुधा यही मान लिया जाता है कि आदिवासी अभी भी पूर्व मुद्रा जीवन धारण अपरिवर्तनीय स्थिति में रह रहा है ।

देव प्रकाश ने अपनी पुस्तक जातिगत समाज शास्त्र 2014 में लिखा है कि डॉ. डी. एन. मजूमदार (D. N. MAJUMDAR) ने जनजाति की परिभाषा इन शब्दों में दी है एक जनजाति परिवारों के समूहों का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक ही भू क्षेत्र में निवास करते है एक भाषा बोलते है । और विवाह वृन्ति या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते है । और उनमें परस्पर आदान प्रदान एवं दायित्वों की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित हो गई है ।”

भारत की सभी जनजातियों का सामाजिक संगठन और संस्कृति एक ही नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनजाति कह कर उनका परिचय नहीं दे सकते। कुछ जनजातियां भील तथा सूथाल दूसरी और कुछ जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ी है। जैसे गोंड, मुण्डा, भील तथा संथाल। दूसरी ओर कुछ जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से इतनी छोटी है कि उनकी गणना सौ व्यक्तियों से अधिक नहीं है।

डॉ. धर्मवी महाजन और डॉ. कमलेश महाजन ने अपनी 2007 पुस्तक जनजातीय सामाज का समाजशास्त्र में लिखा है।

भारत में अनके प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है इनका निवास स्थान कोई एक प्रदेश न होकर सम्पूर्ण भारत वर्ष है अर्थात् भारत में जनजातियाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है इनके आवासीय क्षेत्रों की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्र चार हिस्सों में बांटे गये हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र है।

इम्पीरियल गजेटियर:

में जनजाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है जनजाति परिवारों का वह संकलन है। जिसका एक अपना सामान्य नाम होता है जो सामान्य भाषा बोलना है तथा जो सामान्य प्रदेश में प्रदेश में रहता है या रहने का दावा करता है और सामान्यतया अन्तर्विवाही होता है भले ही आरम्भ में ऐस न करता रहा है। जनजाति विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता (स्वीकार) करता है

उपकल्पना:

उपरोक्त अध्ययन में उपकल्पना एक काम चलाऊ अस्थायी निकर्ष है अध्ययन जो वैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है उस अध्ययन की उपकल्पना है राजनीति में अनुसूचित जनजातियों के प्रति सहभागिता

शोध प्रविधि:

द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत सामग्री संकलन हेतु विभिन्न ग्रंथालयों सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोतों से प्राप्त ऑकड़ों लेखों एवं अभिलेखों समाचार पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित व अप्रकाशित शोध प्रतिवेदनों जनसम्पर्क कार्यालयों आदि से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन कर आवश्यक सामग्रियों का संकलन किया गया हैं इंटरनेट की सूचना के स्रोतों के रूप में प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया गया है। अवलोकन विधि से भी किया गया है।

निष्कर्ष:

अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में उपर्युक्त विश्लेषण से अधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिये उपयुक्त कार्मिक व्यवस्था के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होते हैं सर्वप्रथम है कि भारत में सम्पूर्ण देश के लिए लगभग एक समान कार्मिक व्यवस्था स्थापित की गई है और आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर अवस्थित सभी क्षेत्रों में एक ही व्यवस्था समान कुशलता के साथ कार्य कर सके परिवर्तन के लिए सक्रिय उत्प्रेरक अभिकरण की भूमिका को समान सुगमता के साथ स्वीकार कर सकते हैं और राजनीतिक में सहभागी बन सकें—

1. अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक आर्थिक वैवाहिक परिस्थितियों का निर्वाह करते हुए राजनीतिक में रुचि ले रहे हैं।
2. शैक्षणिक स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में स्तर अभी सामान्य है अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का विकास का स्तर ज्यादा अच्छा नहीं है राजनीतिक को कम समझ पा रहे हैं।
3. राजनैतिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियाँ का व्यवहार गांव के वातावरण पर निर्भर है उनका कोई ज्यादा विचार नहीं होता है।

सुझाव:

1. अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है जिससे उनको अधिकारों एवं कर्तव्यों का अनुभव हो।
2. अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक आर्थिक ज्ञान के साथ राजनीतिक ज्ञान का अनुभव करना जिससे वे राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सहायक हो सकें।
3. अनुसूचित जनजातियों में जातिवाद क्षेत्रवाद दलीय व्यवस्था से प्रभावित न होकर उनका अपना राजनैतिक में सहभागिता करना चाहिए।
4. विभिन्न दलों को भी अनुसूचित जनजातियों के राजनीति में शामिल को सरल और सहज स्वीकार करना चाहिए।
5. अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने के लिये उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाये जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सकें और देश के निर्माण के महत्व को समझ या पहचान कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- [1]. डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा चतुर्थ आवृत्ति 1994 मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग भोपाल 4642003 प्राची प्रकाशन नई दिल्ली

- [2].डॉ. धर्मवीर महाजन डॉ. कमलेश महाजन 2007 विवेक प्रकाशन 7 यू.ए. जवाहर नगर दिल्ली
- [3].डॉ. हरि प्रसाद जोशी 1994 मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग भोपाल
- [4].देव प्रकाश 2014 जातिगत समाज शास्त्र ओमेगा पब्लिकेशन 4378 4B,G-4 जे. एम. डी. हाऊस गली
मुरारी लाल अंसारी रोड़ दरिया गंज नई दिल्ली -110002 ई मेल omegapublications
yahoo.com
- [5].<https://m.thewirehindi.com>
- [6].आदिवासी विकास एक सैद्धान्तिक विवेचन
- [7].जनजातिय समाज का समाज शास्त्र 1994 मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रवीन्द्रनाथ 461003 कोरकू
जनजाति
- [8].article m.p. adivasistriba